भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1155
दिनांक 27 जुलाई, 2023

ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस का हिस्सा

†1155.श्री वाई. देवेन्द्रप्पा:
श्री अरुण साव:
श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री विजय बघेल:
श्री देवजी पटेल:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री मोहन मंडावी:
श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
श्री सुनील कुमार सोनी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस का वर्तमान हिस्सा कितना है;

(ख) क्या सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यनीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय गैस ग्रिड प्रणाली को सुदृढ़ करने और 'वन नेशन वन ग्रिड और वन टैरिफ' के मिशन को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख) भारत में वर्तमान में ऊर्जा बॉस्केट में प्राकृतिक गैस का हिस्सा 6.7 प्रतिशत है। सरकार ने ऊर्जा मिश्र में प्राकृतिक गैस के हिस्से को बढ़ाकर वर्ष 2030 में 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में राष्ट्रीय गैस ग्रिड पाइपलाइन का विस्तार, नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क का विस्तार, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनलों की स्थापना, संपीड़ित

प्राकृतिक गैस (परिवहन)/पाइप्ड प्राकृतिक गैस (घरेलू) सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) का कटौती रहित श्रेणी में घरेलू गैस का आवंटन, उच्च दाब/उच्च तापक्रम वाले क्षेत्रों, गहरे समुद्री और अत्यधिक गहरे समुद्री तथा कोल सीम्स से उत्पादित गैस के संबंध में अधिकतम मूल्य सहित विपणन और मूल्य निर्धारण की आजादी प्रदान करना, जैव सीएनजी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) पहल आदि शामिल हैं।

(ग) राष्ट्रीय गैस ग्रिड (एक राष्ट्र, एक गैस ग्रिड) का निर्माण करने और पूरे देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने पूरे देश में लगभग 33,592 कि.मी. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क को प्राधिकृत किया है। इसमें से स्पर लाइनों, टाई इन कनेक्टिविटी, उप-पारेषण पाइपलाइनों (एसटीपीएल) और समर्पित पाइपलाइनों सहित 23,173 कि.मी. प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का प्रचालन किया जा रहा है और कुल 12,206 किमी लंबाई की पाइपलाइनें निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

इसके अलावा पीएनजीआरबी ने 'एक राष्ट्र, एक ग्रिड और एक प्रशुल्क' के उद्देश्य से आपस में जुड़ी हुई प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए दिनांक 01.04.2023 से एकीकृत प्रशुल्क कार्यान्वित कर दिया है। एकीकृत प्रशुल्क के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए विनियमनों में कंपनी स्तर पर एकीकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क को शुरू किया गया है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के समग्र हित की रक्षा करने के लिए एकीकृत प्रशुल्क क्षेत्रों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है।

***